प्रेषक

महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।

सेवा में

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
यमुनानगर

यादी क्रमांक 4/31–2013 एम0डी0एम0 (1)
दिनांक, पंचकुला 8-6-2013

विषयः– **मध्याह्न भोजन योजना के अन्र्तगत कार्यरत कुक कम हैल्पर के भुगतान बारे मार्गदर्शन करने बारे।**

****

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक एम0डी0एम0/13/700 दिनांक 5.4.2013 के सन्दर्भ मे।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आप द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया है कि कुक के मानदेय की मांग प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयो की छात्र संख्या के आधार पर अलग अलग करे अथवा दोनो की छात्र संख्या के आधार पर नार्म अनुसार करे।

भारत सरकार द्वारा मिड डे मील स्कीम के अन्र्तगत छात्र संख्या के आधार पर कुक रखने का प्रावधान किया गया है। कुक रखने हेतू निर्धारित नार्म निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	छात्र संख्या	कुक
1	1–25 छात्र	1
2	26–100छात्र	2
3	अगले प्रत्येक 100 तक	1 अतिरिक्त कुक

निदेशालय द्वारा पत्र क्रमांक 1/36–2008 एम0डी0एम0(2) दिनांक (प्रति संलग्न) द्वारा आदेश जारी किए गए थे कि जो प्राइमरी व अपर–प्राइमरी विद्यालय एक ही प्रांगण मे है वहा मिड डे मील इक्टठा बनाया जाए परन्तु खर्चे का हिसाब किताब अलग–अलग रखा जाए तथा कुक विद्यालयो की छात्र संख्या के आधार पर रखे जाए। अतः आपको निर्देश दिए जाते है कि इस आधार पर कुको की गणना प्राइमरी व अपर–प्राइमरी विद्यालयो की अलग–अलग छात्र संख्या के आधार पर करे।

Attached letter 1/36-08 MDM(2)

अधीक्षक मिड डे मील
कृते महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।

24-09-10 03:40 ☎ 01724652992 MALIK 001

प्रेषक

निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

सेवा में

समस्त जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
हरियाणा राज्य।

यादी क्रमांक 1/36-2008 एम.डी.एम (1)
दिनांक चण्डीगढ़

I/C MDM
to note for n/a
27/9/10

विषय: मिड–डे–मील स्कीम के अन्तर्गत एक ही किचन में खाना बनाने बारे।

-0-

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

Sign
DEEO 27/9/10

सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए जाते है कि आपके अधीन सभी प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जो एक ही चारदीवारी में लगते है और जिनका एक ही कैम्पस है वहां पर मिड–डे–मील स्कीम के अन्तर्गत एक ही किचन में खाना बनेगा लेकिन उसके खर्चे का हिसाब किताब अलग–अलग रखा जाएगा तथा कुकस स्कूल की छात्र संख्या के आधार पर रखे जाएगें।

उपरोक्त हिदायतों की तत्काल प्रभाव से पालना की जाए।

Sd/- 22.9.10

अधीक्षक मिड–डे–मील
कृते निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

पृष्ठांकन क्रमांक– सम
दिनांक चण्डीगढ़ 22.9.2010

इसकी एक प्रति समस्त अतिरिक्त जिला उपायुक्तों को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

Sd/- 22.9.10

अधीक्षक मिड–डे–मील
कृते निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,

कार्यालय: अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी